एसी:06:01	**अध्यक्ष द्वारा सदन से कार्यवाही शुरू करने का आह्वान**

कार्यवृत्त:

06.01.1 अध्यक्ष ने सदन से कार्यवाही शुरू करने का आह्वान किया।

एसी:06:02	**देहावसान समाचार**

[कार्यबिंदु:

06.02.1 निम्नलिखित महान विभूतियों के मृत्यु समाचार को सदन के समक्ष गहरी संवेदना के साथ रखा गया।

1. भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरोंसिंह शेखावत
2. श्रीमती करुणा सिंह, पत्नी- सिक्किम के महामहिम राज्यपाल और सिक्किम विश्वविद्यालय के चीफ रेक्टर
3. श्रीमती शंकु गुरुंग, तशी नामग्याल अकादमी की पूर्व शिक्षक, सिक्किम महिला परिषद के संस्थापक सदस्य और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री, श्री बी बी गुरुंग की पत्नी
4. श्रीमती जी मधुसूदन सिंह, इंके स्कूल की पूर्व शिक्षक, सिक्किम महिला परिषद के संस्थापक सदस्य और पत्नी- स्वर्गीय मधुसूदन सिंह, निदेशक (शिक्षा)
5. श्री पी.ओ. पेज़ो, पूर्व सचिव, वन और पर्यावरण विभाग
6. श्री मदन तमांग, ऑल इंडिया गोरखा लीग के अध्यक्ष और नामी विद्वद व्यक्तित्व, दार्जिलिंग।
7. श्री बद्रीनारायण प्रधान, शिक्षाविद्, सामाजिक कार्यकर्ता और सिक्किम के पूर्व राज्यसभा सांसद
8 ईपी बर्न्स, प्रसिद्ध शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता
9 श्रीमती लता रवि, पत्नी श्री पी.वी. रवि, सिक्किम विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी]

कार्यवृत्त:

06.02.1 सदन ने इन दिवंगत आत्माओं के मृत्यु संदेश पर गहरी संवेदना प्रकट की और उनके सम्मान में दो मिनट का मौन धारण किया।

एसी:06:03	**कुलपति द्वारा परफार्मेंस पर प्रकाश**

कार्यवृत्त:

06.03.1 शैक्षणिक परिषद की पिछली बैठक के बाद से विश्वविद्यालय के परफार्मेंस पर कुलपति द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई। सदस्यों ने कुलपति एवं उनकी टीम की इस बात की बधाई दी कि विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय प्रगति की और उक्त प्रशंसा को अभिलेखित किया गया।

इस बात की चर्चा की गई की सिक्किम विश्वविद्यालय नए बने केंद्रीय विश्वविद्यालायों में एक आदर्श है। सदन द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय अब पर्यावरण मुद्दों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करे।

एसी:06:04	**दिनांक- 13.2.2010 एवं 15.04.2010 को शैक्षणिक परिषद की आयोजित पिछली बैठकों के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण**

कार्यवृत्त:

06.04.1 दिनांक- 13.2.2010 एवं 15.04.2010 को शैक्षणिक परिषद की आयोजित पिछली बैठकों के कार्यवृत्त को सदन के समक्ष पुष्टिकरण हेतु रखा गया। माननीय सदस्य प्रो. जे.पी. शर्मा ने कहा कि पिछली बैठक में उनके सुझाव वाणिज्य एवं व्यापार प्रशासन विभाग की शुरुआत को कार्यवृत्त में जगह क्यों नहीं दी गई? इसी तरह माननीय सदस्य प्रो. नीलिमा देशमुख ने पूछा कि पिछली बैठक में उनके लोक प्रशासन की शुरुआत को कार्यवृत्त में स्थान क्यों नहीं दिया गया? अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि ये सुझाव इसमें शामिल नहीं किए गए परंतु उसे नोट कर लिया गया है। उन्होंने जवाब दिया कि विश्वविद्यालय उन पाठ्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहा है जिसे यूजीसी ने ग्यारहवें प्लान के तहत अनुमोदित किया है। प्रो. एआर रेड्डी ने कहा कि सिक्किम विश्वविद्यालय को ऐसी स्थिति में नए विभाग शुरू करने के बजाय मौजूदा विभागों को ही ठोस बनाना चाहिए। सदन ने यह अवलोकित किया कि विश्वविद्यालय छात्रों को समग्र ज्ञान देने पर अपने को केंद्रित करेगा। प्रो. करूणाकरण ने कहा कि युवाओं के विकास के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय एक अच्छा मंच है और सिक्किम विश्वविद्यालय को क्षेत्रीय विकास विश्वविद्यालय के रूप में अपने को विकसित करना चाहिए। छात्रों के हित विभिन्न क्षेत्रों में थिंक टैंक से त्रैमासिक व्याख्यान आयोजित करने पर भी विश्वविद्यालय को विचार करना चाहिए।

06.04.2 उक्त अवलोकनों के साथ सदन ने दिनांक- 13.2.2010 एवं 15.04.2010 को शैक्षणिक परिषद की आयोजित पिछली बैठकों के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण कर दिया।

एसी:06:05	**दिनांक- 13.2.2010 एवं 15.04.2010 को शैक्षणिक परिषद की आयोजित पिछली बैठकों के कार्यवृत्त पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट**

कार्यवृत्त:

06.05.1 दिनांक- 13.2.2010 एवं 15.04.2010 को शैक्षणिक परिषद की आयोजित पिछली बैठकों के कार्यवृत्त पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट सदन के समक्ष पुष्टिकरण हेतु रखा गया। कृत कार्रवाई रिपोर्ट के पुष्टिकरण के वक्त यह सुझाव दिया गया कि बाबू राजेंद्र प्रसाद की 150वां जन्म दिवस मनाने के समय विश्वविद्यालय रवींद्रनाथ टैगोर के 150वें जन्म दिवस को भी मनाने पर विचार कर सकता है।

इस संबंध में सदन ने यह अभिलेखित किया कि रवींद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक कवि ही नहीं बल्कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे और विश्वविद्यालय जब जन्म दिवस मनाए तो इस बात पर विचार करे। माननीय सदस्य प्रो. इफतखार अहमद ने कहा कि वह विश्वविद्यालय के लिए "दी रिलिवेंस ऑफ बाबू राजेंद्र प्रसाद" पर एक वृत्तचित्र का निर्माण करना चाहते हैं, इस पर अध्यक्ष जी ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

06.05.2 इन सुझावों के साथ सदन ने अपने समक्ष प्रस्तुत कृत कार्रवाई रिपोर्ट का पुष्टिकरण किया।

एसी:06:06	**विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह पर रिपोर्ट**

कार्यवृत्त:

06.06.1 सदन ने महामहिम भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न प्रथम दीक्षांत समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए कुलपति एवं उनकी टीम को धन्यवाद दिया।

एसी:06:07	**निरीक्षण कमिटी की रिपोर्ट- पाकिम पैलेनटाइन कॉलेज**

कार्यवृत्त:

06.07.1 सदन ने कार्यबिंदु और पाकिम पैलेंटाइन कॉलेज पर निरीक्षण कमिटी की रिपोर्ट पर विस्तार से विचार किया। प्रो. सुब्बा ने कहा कि नए पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान करने से पूर्व विश्वविद्यालय को यूजीसी(कॉलेजों की संबद्धता) विनियम, 2009 को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों कमिटियों की रिपोर्टों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि दोनों ही रिपोर्ट में कोई विशेष तथ्य नहीं है। इस पर दखल देते हुए निरीक्षण कमिटी के मुखिया एवं माननीय सदस्य ने कहा कि निरीक्षण टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी शर्तों के अधीन की गई और निरीक्षण दल ने कॉलेज में जो पाया उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। पहली कमिटी ने यूजीसी मापदंडों को ध्यान में रखा और दूसरी कमिटी ने पहली कमिटी की रिपोर्ट एवं सिक्किम के शैक्षणिक हितों एवं उसकी दूरवर्तिता को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट सौंपा। प्रो. श्रीवास्तव ने कहा कि एकमात्र क्षेत्राधिकार वाली विश्वविद्यालय होने के नाते सिक्किम विश्वविद्यालय को संबद्धता प्रदान करने के मामले में नीति बनानी चाहिए और कार्यकारी परिषद से अनुरोध है कि वो इस पर मार्गदर्शन मुहैया कराए।

यह भी सुझाव दिया गया कि संबद्धता नियमों की देख-रेख के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। सदन के यह भी संज्ञान में आया कि वर्तमान में सिक्किम राज्य में एक भी अकादमिक स्टाफ कॉलेज नहीं है। प्रो. ए. आर रेड्डी ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय "सेंटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ अकादमीक्स" स्थापित करने पर विचार कर सकता है। हाउस ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय राज्य भर में फैले कला पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए ई-कक्षा स्थापित करने पर विचार कर सकता है।

6.07.2 सदन ने कहा कि पहले और दूसरे निरीक्षण के दरम्यान विश्वविद्यालय ने किसी भी निरीक्षित कॉलेज की अनुपालनात्मक रिपोर्ट नहीं मंगाई और सुझाव दिया गया भविष्य में विश्वविद्यालय प्रत्येक निरीक्षण के बाद अनुपालन रिपोर्ट जरूर मंगाए। यह भी कहा गया कि शैक्षणिक परिषद जितना सिक्किम विश्वविद्यालय के केंद्रीय यूनिवर्सिटी के रूप में देखती है उतना ही उसके अपने स्वयं के कॉलेजों के परिप्रेक्ष्य में भी देखती है। प्रोफेसर टीबी सुब्बा ने दोहराया कि निरीक्षण रिपोर्ट में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि कॉलेजों ने वो कौन सी चीजें पूरी नहीं की जिसके लिए उसे संबद्धता की सिफारिश की गई थी। उन्होंने यह भी चाहा कि विश्वविद्यालय कॉलेज विकास परिषद का गठन जल्द से जल्द करे। यह उनके द्वारा महसूस किया गया कि केवल अच्छे विचार ही शैक्षणिक परिषद के समक्ष रखा जाए।

06.07.3 कार्यबिंदु मद सं. 6.07 से 6.10 के अनुसार निम्नलिखित कॉलेजों ने पाकिम पैलेटाइन कॉलेज सहित नए पाठ्यक्रमों की संबद्धता के लिए अनुरोध किए, जिस पर सदन ने विचार किया।

1. सरकारी कॉलेज, रोनॉक
2. दामबर सिंह कॉलेज, गंगटोक
3. नामची गवर्नमेंट कॉलेज, नामची

06.07.4 निरीक्षण समिति की संबंधित रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सदन ने सिफारिश की कि उपरोक्त प्रत्येक कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2010-11 से दो नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि वे निरीक्षण समितियों द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशों/टिप्पणियों को इस शैक्षणिक वर्ष से क्रियान्वित करें। विश्वविद्यालय खुद या कॉलेज को स्वयं से दो पाठ्यक्रमों को चुनने की आजादी दे। हालांकि, विश्वविद-यालय इस बात को सुनिश्चित करे कि ऐसे कॉलेजों द्वारा पूर्व की सिफारिशों पर अनुपालन किया जा रहा है। सदन ने अपने संज्ञान में यह भी लिया कि ऐसे दो पाठ्यक्रमों के लिए जो संबद्धता प्रदान की जाती है, वह कम से कम तीन साल तक के लिए बरकरार रहती है। ऐसे में आवश्यक है कि विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेजों को सूचित करे कि यदि वे विश्वविद्यालय के मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो उनके नए कोर्सों के लिए संबद्धता का पुनर्नवीनीकरण दूसरे और तीसरे साल के लिए स्वत: नहीं किया जाएगा।

06.07.5 सदन ने उक्त सिफारिशों को कार्यकारी परिषद के अनुमोदन हेतु पारित किया।

एसी:06:08	**निरीक्षण कमिटी की रिपोर्ट- गवर्नमेंट कॉलेज, रेनॉक**

कार्यवृत्त:

06.08.1 जैसा कि कार्यबिंदु 6.07 में वर्णित है, तदनुसार निरीक्षण समिति की संबंधित रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सदन ने सिफारिश की कि उपरोक्त प्रत्येक कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2010-11 से दो नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि वे निरीक्षण समितियों द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशों/टिप्पणियों को इस शैक्षणिक वर्ष से क्रियान्वित करें। विश्वविद्यालय खुद या कॉलेज को स्वयं से दो पाठ्यक्रमों को चुनने की आजादी दे। हालांकि, विश्वविद-यालय इस बात को सुनिश्चित करे कि ऐसे कॉलेजों द्वारा पूर्व की सिफारिशों पर अनुपालन किया जा रहा है। सदन ने अपने संज्ञान में यह भी लिया कि ऐसे दो पाठ्यक्रमों के लिए जो संबद्धता प्रदान की जाती है, वह कम से कम तीन साल तक के लिए बरकरार रहती है। ऐसे में आवश्यक है कि विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेजों को सूचित करे कि यदि वे विश्वविद्यालय के मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो उनके नए कोर्सों के लिए संबद्धता का पुनर्नवीनीकरण दूसरे और तीसरे साल के लिए स्वत: नहीं किया जाएगा।

06.08.2 सदन ने उक्त सिफारिशों को कार्यकारी परिषद के अनुमोदन हेतु पारित किया।

एसी:06:09	**निरीक्षण कमिटी की रिपोर्ट- दाम्बर सिंह कॉलेज**

कार्यवृत्त:

06.09.1 जैसा कि कार्यबिंदु 6.07 में वर्णित है, तदनुसार निरीक्षण समिति की संबंधित रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सदन ने सिफारिश की कि उपरोक्त प्रत्येक कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2010-11 से दो नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि वे निरीक्षण समितियों द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशों/टिप्पणियों को इस शैक्षणिक वर्ष से क्रियान्वित करें। विश्वविद्यालय खुद या कॉलेज को स्वयं से दो पाठ्यक्रमों को चुनने की आजादी दे। हालांकि, विश्वविद-यालय इस बात को सुनिश्चित करे कि ऐसे कॉलेजों द्वारा पूर्व की सिफारिशों पर अनुपालन किया जा रहा है। सदन ने अपने संज्ञान में यह भी लिया कि ऐसे दो पाठ्यक्रमों के लिए जो संबद्धता प्रदान की जाती है, वह कम से कम तीन साल तक के लिए बरकरार रहती है। ऐसे में आवश्यक है कि विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेजों को सूचित करे कि यदि वे विश्वविद्यालय के मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो उनके नए कोर्सों के लिए संबद्धता का पुनर्नवीनीकरण दूसरे और तीसरे साल के लिए स्वत: नहीं किया जाएगा।

06.09.2 सदन ने उक्त सिफारिशों को कार्यकारी परिषद के अनुमोदन हेतु पारित किया।

एसी:06:10	**निरीक्षण कमिटी की रिपोर्ट- नामची गवर्नमेंट कॉलेज**

कार्यवृत्त:

06.10.1 जैसा कि कार्यबिंदु 6.07 में वर्णित है, तदनुसार निरीक्षण समिति की संबंधित रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सदन ने सिफारिश की कि उपरोक्त प्रत्येक कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2010-11 से दो नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि वे निरीक्षण समितियों द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशों/टिप्पणियों को इस शैक्षणिक वर्ष से क्रियान्वित करें। विश्वविद्यालय खुद या कॉलेज को स्वयं से दो पाठ्यक्रमों को चुनने की आजादी दे। हालांकि, विश्वविद-यालय इस बात को सुनिश्चित करे कि ऐसे कॉलेजों द्वारा पूर्व की सिफारिशों पर अनुपालन किया जा रहा है। सदन ने अपने संज्ञान में यह भी लिया कि ऐसे दो पाठ्यक्रमों के लिए जो संबद्धता प्रदान की जाती है, वह कम से कम तीन साल तक के लिए बरकरार रहती है। ऐसे में आवश्यक है कि विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेजों को सूचित करे कि यदि वे विश्वविद्यालय के मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो उनके नए कोर्सों के लिए संबद्धता का पुनर्नवीनीकरण दूसरे और तीसरे साल के लिए स्वत: नहीं किया जाएगा।

06.10.2 सदन ने उक्त सिफारिशों को कार्यकारी परिषद के अनुमोदन हेतु पारित किया।

एसी:06:11	**निरीक्षण कमिटी की रिपोर्ट- गवर्नमेंट बी.एड. कॉलेज, सोरंग**

कार्यवृत्त:

06.11.1 सदन ने कार्यबिंदु और अध्यक्ष द्वारा इस बावत बताई गई बातों पर विस्तार से विचार किया। यह सूचित किया गया कि एनसीटीई की टीम जिसने बीएड कॉलेज, सारेंग का निरीक्षण किया उसमें विश्वविद्यालय द्वारा भी एक सदस्य नामित किया गया था। परंतु, विश्वविद्यालय की ओर से नामित सदस्य के बिना दस्तखत के ही निरीक्षण टीम ने रिपोर्ट तैयार कर दिया। सदन ने इस पर सुझाव दिया कि अध्यक्ष जी एनसीटीई के अध्यक्ष के समक्ष इस मामले को उठाएं।

एसी:06:12	**रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए पाठ्यक्रम का अनुमोदन**

06.11.2 सदन ने गवर्नमेंट बीएड कॉलेज, सोरंग के संबंध में विश्वविद्यालय को पेश आ रही समस्याओं पर विचार किया। अध्यक्ष ने इस संबंध में प्राप्त विभिन्न तथ्यों से सदन को अवगत कराया।

06.11.3 इसके बाद सदन की सिफारिश थी कि जैसा कि एनसीटीई ने कॉलेज शुरू करने के अनुमोदन पर सहमति जताई है और कॉलेज ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में सुधार दिखाया है, जिस और निरीक्षण टीम ने निरीक्षण के समय इंगित किया था, अत: कॉलेज को कोर्स शुरू करने के लिए एक साल के लिए सत्र 2010-11 हेतु अस्थायी मान्यता दी जा सकती है। हालांकि, आगे चरणबद्ध रूप से होने वाले निरीक्षणों से यह निर्णय पक्षपातरहित है। विश्वविद्यालय 2010 के अंत तक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दूसरा निरीक्षण करवा सकता है।

06.11.4 सदन ने उपर्युक्त अनुसार संकल्प पारित करते हुए उक्त को कार्यकारी परिषद से अनुमोदन की सिफारिश की।

एसी:06:12	**चीनी भाषा में एकीकृत कोर्स के लिए पाठ्यक्रम का अनुमोदन**

<u>कार्यवृत्त:</u>

06.12.1 सदन ने अपने समक्ष रखे सिलेबस पर विचार किया और उसके कार्यकारी परिषद से अनुमोदन की सिफारिश की।

एसी:06:13	**भूगोल और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर कोर्स के लिए सिलेबस का अनुमोदन**

<u>कार्यवृत्त:</u>

06.13.1 सदन ने अपने समक्ष रखे सिलेबस पर विचार किया और उसके कार्यकारी परिषद से अनुमोदन की सिफारिश की।

एसी:06:14	**रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त:

06.14.1 सदन ने अपने समक्ष रखे सिलेबस पर विचार किया और उसके कार्यकारी परिषद से अनुमोदन की सिफारिश की।

एसी:06:15	**जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त:

06.15.1 सदन ने अपने समक्ष रखे सिलेबस पर विचार किया और उसके कार्यकारी परिषद से अनुमोदन की सिफारिश की।

एसी:06:16	**अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त:

06.16.1 सदन ने अपने समक्ष रखे सिलेबस पर विचार किया और उसके कार्यकारी परिषद से अनुमोदन की सिफारिश की।

एसी:06:17	**माइक्रोबायोलॉजी में एम.फिल / पीएचडी के लिए सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त:

06.17.1 सदन ने अपने समक्ष रखे सिलेबस पर विचार किया और उसके कार्यकारी परिषद से अनुमोदन की सिफारिश की।

एसी:06:18	**अंतरराष्ट्रीय संबंध में एम.फिल / पीएचडी के लिए सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त:

06.18.1 सदन ने अपने समक्ष रखे सिलेबस पर विचार किया और उसके कार्यकारी परिषद से अनुमोदन की सिफारिश की। हालांकि यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय वैकल्पिक विषय के रूप में भारत की विदेश नीति को पाठ्यक्रम में स्थान दे सकता है।

एसी:06:19	**समाज विज्ञान में एम.फिल / पीएचडी. के लिए सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त:

06.19.1 सदन ने अपने समक्ष रखे सिलेबस पर विचार किया और उसके कार्यकारी परिषद से अनुमोदन की सिफारिश की।

एसी:06:20	**शांति और संघर्ष अध्ययन में एम.फिल / पीएचडी के लिए सिलेबस का अनुमोदन**

कार्यवृत्त:

06.20.1 सदन ने अपने समक्ष रखे सिलेबस पर विचार किया और उसके कार्यकारी परिषद से अनुमोदन की सिफारिश की। हालांकि यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय वैकल्पिक विषय के रूप में शांति आंदोलन (पीस मूवमेंट) को पाठ्यक्रम में स्थान दे सकता है।

एसी:06:21	**2010-11 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का परिणाम**

कार्यवृत्त:

06.21.1 सदन ने कार्यबिंदु पर विस्तार से चर्चा की और उसे अपने संज्ञान में लिया। यह कहा गया कि सभी विषयों के एम.फिल / पीएचडी कार्यक्रम में विश्वविद्यालय यह विचार करे कि उनमें अधिकतम 8 सीट की बाध्यता नहीं हो और इसमें विश्वविद्यालय के हित में ढील दी जाए।

एसी:06:22	**विश्वविद्यालय विभाग व संबद्ध कॉलेजों के छात्रों हेतु सेमेस्टर ब्रेक का लाभ उठाने के लिए दिशानिर्देश**

कार्यवृत्त:

06.22.1 सदन ने विश्वविद्यालय विभाग व संबद्ध कॉलेजों के छात्रों हेतु सेमेस्टर ब्रेक का लाभ उठाने के लिए दिशानिर्देश के मसौदा पर विचार किया और उसके कार्यकारी परिषद से अनुमोदन की सिफारिश की।

एसी:06:23	**मौजूदा पाठ्यक्रमों के अंडरग्रेजुएट कोर्स की समीक्षा**

कार्यवृत्त:

06.23.1 सदन ने अपने समक्ष प्रस्तुत कार्यबिंदु को संज्ञान में लिया और उसका अनुमोदन किया।

एसी:06:24	**क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम पर परीक्षा अध्यादेश में संशोधन**

कार्यवृत्त:

06.24.1 यह संशोधन सदन के सामने नहीं रखा जा सका। हालांकि, सदन ने कुलपति को प्राधिकृत किया कि वह क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम पर परीक्षा अध्यादेश का मसौदा बनाए और उसका अनुमोदन कार्यकारी परिषद से प्राप्त करे।

एसी:06:25	**एम फार्मा कोर्स की शुरुआत के लिए एचपीआई का अनुरोध**

कार्यवृत्त:

06.25.1 सदन ने कार्यबिंदु पर विस्तार से विचार के उपरांत निर्णय लिया कि अकादमिक सत्र 2010-11 के लिए कॉलेज के अनुरोध पर विचार किया जाना संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया गया कि कॉलेज से विस्तृत जानकारी लेने या एआईसीटीई के अनुमोदन हेतु एक कमिटी बनाई जानी चाहिए।

06.25.2 सदन ने यह निर्णय लिया कि उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यकारी परिषद के अनुमोदन हेतु उसके समक्ष रखा जाए।

एसी:06:26	**हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए अनुरोध**

कार्यवृत्त:

06.26.1 सदन ने रेनॉक एजुकेशन सोसायटी के अनुरोध पर विचार किया। सदन ने कहा कि सिक्किम विश्वविद्यालय के पास अभी इंजीनियरिंग संस्थानों की स्थापना की मानीटरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तदनुसार सिफारिश की गई की विश्वविद्यालय ऐसे अनुरोध को ठुकरा दे क्योंकि वैसे भी विश्वविद्यालय इंजीनीयरिंग एवं टेक्नॉलोजी में इस स्थिति में कोई नया कोर्स नहीं शुरू करने जा रहा है।

06.26.2 सदन ने यह निर्णय लिया कि उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यकारी परिषद के अनुमोदन हेतु उसके समक्ष रखा जाए।

एसी:06:27	**दूसरी शैक्षणिक परिषद का गठन**

कार्यवृत्त:

06.27.1 सदन ने कार्यबिंदु पर विचार किया और सिफारिश की कि इसे कार्यकारी परिषद के अनुमोदन हेतु उसके समक्ष रखा जाए।

एसी:06:28	**विभिन्न स्कूलों और विभागों की स्थापना के लिए संविधि संशोधन- पीठाध्यक्ष की अनुज्ञा**

कार्यवृत्त:

06.28.1 सदन ने कार्यबिंदु पर विचार किया और सिफारिश की कि इसे कार्यकारी परिषद के अनुमोदन हेतु उसके समक्ष रखा जाए।

एसी:06:29	**विभिन्न स्कूलों और विभागों में संकाय सदस्यों हेतु चयन समितियों के लिए विशेषज्ञों की सूची का अनुमोदन**

कार्यवृत्त:

06.29.1 सदन ने अपने समक्ष रखी विशेषज्ञों की सूची पर विचार किया और उसका अनुमोदन किया। सदन ने अध्यक्ष से यह भी अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों से विशेषज्ञों को शामिल कर इस सूची का विस्तार किया जा सकता है।

06.29.2 सदन ने उपर्युक्त सुझावों के साथ इसे कार्यकारी परिषद के अनुमोदन हेतु उसके समक्ष रखने की सिफारिश की।

एसी:06:30	**अन्य कोई मद अध्यक्ष जी की अनुमति से**

कार्यवृत्त:

06.30.1 अन्य कोई मद न होने की वजह से अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त कर दी गई।

हस्ताक्षर/-

(पीवी रवि)
वित्त अधिकारी
कार्यवाहक सचिव, शैक्षणिक परिषद